## उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

**Uttar Pradesh Gramin Bank** 

प्र.का./अग्रिम/परिपत्र/01/2025-26/10

दिनांक:01.05.2025

सभी शाखाओं एवं कार्यालयों को परिपत्र

प्रधान कार्यालय के अग्रिम विभाग द्वारा जारी

महोदय/महोदया.

## विषयः दिनांक 01.05.2025 से ऋण स्वीकृति सम्बन्धी प्राधिकार के सम्बन्ध में

आप अवगत हैं कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.04.2025 के क्रम में बड़ौदा यू.पी. बैंक, आर्यावर्त बैंक एवं प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक को समामेलित कर दिनांक 01.05.2025 से "उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक" अस्तित्व में आ गया है।

ऋण सम्बन्धी निर्णयों में परिचालन दक्षता (Operational Efficiency) के उद्देश्य से Steering Committee की बैठक दिनांक 30.04.2025 में यह निर्णय लिया गया है कि पूर्ववर्ती बैंकों की शाखाएँ, जो कि क्रेडिट हब/रिटेल लोन एवं SME लोन फैक्ट्री से सम्बद्ध हैं, वे अगले निर्देश तक ऋण प्रस्तावों के स्वीकृति के सम्बन्ध में अपने पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करती रहेंगी, जबकि सम्बंधित स्वीकृतिकर्ता की Discretionary Lending Power (DLP) नए ऋण नीति के अनुसार लागू होगी।

शाखाएं/कार्यालय किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अपने क्षेत्रीय कार्यालय/प्रधान कार्यालय के ऋण विभाग से संपर्क करें।

कृपया इस परिपत्र की विषयवस्तु से समस्त कार्मिकों को अवगत कराते हुए तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

महाप्रबंधक

प्रधान कार्यालय: द्वितीय एवं तृतीय तल, एनबीसीसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, वरदान खंड, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ - 226010 Head Office: 2nd and 3rd floor, NBCC Commercial Complex, Vardan Khand, Gomti Nagar Extension, Lucknow - 226010 email- ho@barodauprrb.co.in